(1)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-46RAAJodhpur2023-15RTA223 Puraram ors Vs Ms. Gokul Assosiat etc

1. पूराराम पुत्र मगाराम
2. बुधाराम पुत्र लालाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम
4. महेन्द्र पुत्र घनश्याम
5. गणपत सिंह पुत्र दलपत सिंह
6. अर्जुनराम पुत्र शिम्भूराम
7. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी घनश्याम
8. सुरेन्द्र पुत्र रामनिवास
9. मीरा पत्नी रामनिवास
10. खेमाराम पुत्र घनश्याम
11. नारायण पत्र लालाराम
12. भीकाराम पुत्र जसाराम फौत कायम मुकामः -
    - 12.1. गोकलराम पुत्र भीकाराम
    - 12.2. गोरधनराम पुत्र भीकाराम
    - 12.3. चंदूदेवी पुत्री भीकाराम
    - 12.4. शिवरी पुत्री भीकाराम
    - 12.5. सुगना पुत्री भीकाराम
13. श्रवणराम पुत्र शिम्भूराम
14. दिनेश पुत्र नाथुराम
15. मीरा पत्नी श्री नाथुराम
16. कर्माराम पुत्र मोहनराम
17. गैरी पत्नी श्री मोहनराम
18. मूलाराम पुत्र गोपाराम
19. सुगना पुत्री कल्याणमल
20. बलवीर पुत्र खीवसिंह
21. गैरी पत्नी खींवसिंह
22. शंकरसिंह पुत्र खीवसिंह
23. गैरी पत्नी गिरधारीराम
24. सुखाराम पुत्र भूराराम फौत के कायम मुकामः -
    - 24.1. पुकली पत्नी सुखाराम
    - 24.2. किशोर पुत्र सुखाराम
    - 24.3. उषा पुत्री सुखाराम
    - 24.4. निर्मला पुत्री सुखाराम
25. मांगीलाल पुत्र भुराराम
26. बिरमाराम पुत्र धन्नाराम
27. मंगलाराम पुत्र धन्नाराम
28. मालाराम पुत्र मगाराम
29. कर्माराम पुत्र गोपाराम
30. खीयाराम पुत्र मगाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम रियां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मैसर्स गोकुल एसोसिएट, न्यू जाटाबास मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर जरिये प्रोपराईटर गोकुलराम चौधरी पुत्र रामूराम जाति जाट, निवासी- ग्राम रियां, हाल निवासी- जोधपुर(राज.)।

वादी...

2. उषादेवी पुत्री नाथुराम
3. ओमप्रकाश पुत्र खींवसिंह
4. कमला पुत्री दलपतसिंह
5. कमली पुत्री भबूतराम
6. गेन्दू पुत्री मोहनराम
7. चुतराराम पुत्र कालूराम
8. चैनाराम पुत्र दैराम
9. छोटी पुत्री रावतराम
10. तारा पुत्री दलपतसिंह
11. दिनेश पुत्र दैराम
12. थापू पुत्री रावतराम
13. प्रेम पुत्री दलपतसिंह के कायम मुकाम-
    13.1. मंगलाराम पुत्र मोतीराम निवासी- गांव सिराली, तहसील पीपाडड़ शहर, जिला जोधपुर।
    13.2. श्रीमती सरिता पत्नी दीपक गोदारा, निवासी- व्यास कॉलोनी, एयरफोर्स, रातानाडा, जोधपुर।
    13.3. श्रीमती संगीता पत्नी शुभम कुमार, निवासी- हाउस नंबर 3 बी, सकीकुमबारी, पंत विहार के पास, सत्संग भवन नुकड़ वाले बाबा के पास, सहारपुर, उत्तरप्रदेश।
    13.4. ललीता पत्नी आसुराम सारण, निवासी- ग्राम खुण्डाला, तहसील खींवसर, जिला नागौर।
14. मंगलाराम पुत्र मगाराम के कायम मुकामः -
    14.1. श्रीमती सुआदेवी पत्नी मंगलाराम, निवासी- ग्राम रिया सेठों की, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

14.2. रामदीन पुत्र मंगलाराम निवासी- ग्रा रिया सेठों की, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

14.3. श्रीमती सरोज पत्नी राजेन्द्र जी पुत्री मंगलाराम, निवासी- गांव लवारी, तहसील पीपाड़ शहर,. जिला जोधपुर।

14.4. श्रीमती बसंती पत्नी कोजाराम जी पुत्री मंगलाराम, निवासी- गांव कापरड़ा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।

14.5. श्रीमती गुडीया पत्नी पारस जी, पुत्री मंगलाराम निवासी-गांव बेनण, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

15.बाली पुत्री रावतराम
16.बाली पुत्री मगाराम
17.भंवरलाल पुत्र मगाराम
18.मैना पुत्री दैराम
19.मयाराम पुत्र गिरधारीराम
20.रामदीन पुत्र गिरधारीराम
21.लीला पुत्री दैराम
22.संतोष पुत्री दलपतसिंह
23.सुनिल पुत्र नाथूराम
24.सरिता पुत्री गिरधारीराम
25.सीता पुत्री गिरधारीराम
26.सोहनीदेवी पत्नी दैराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम रियां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

27.भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00163) मैसर्स गोकूल एसोसिएट बनाम अर्जुनराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री पंकज जोशी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री शैतानसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03, 14, 20
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 27

नि र्ण य

दिनांक : 28 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00163) अनवान मैसर्स गोकुल एसोसिएट बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1303 रकबा 1.3268 हैक्टेयर, खसरा नं. 1323/1819 रकबा 3.8832 हैक्टेयर ग्राम रिया तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 10, 33, 35, 39 व 42 की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जाकर अन्य भूमियॉ खसरा नं. 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1301, 1303, 1323/1819 कुल रकबा 11. 2048 हैक्टेयर के विभाजन का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम की गई तथा उभय पक्ष की साक्ष्य ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2022 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में निर्णय एवं प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री पारित करने से पूर्व पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विधिपूर्वक अवलोकन नहीं किया गया है तथा न ही प्रतिवादीगण की ओर से उल्लेखित कथनों का भली भांति अध्ययन किया है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है। वह खरीददार एवं अजनबी क्रेता है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दौराने वाद कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही दस्तावेज रेकर्ड पर लेने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की आड़ में मुख्य सड़क पर 1/3 हिस्सा प्राप्त करना चाहता है जो कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उसके द्वारा अपने जवाब में वादग्रस्त आराजी का मौखिक बंटवाड़ा होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री स्वीकृत तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी के हिस्से की घोषणा न कर केवल जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जो अपास्त योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउंटर क्लेम को ठोस दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित किया है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के कांउटर क्लेम का आंशिक रूप से स्वीकार करने में भारी भूल की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा वादी के वाद को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री पारित कर वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तहसीलदार से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। वकील अपीलांट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से के संबंध में कोई उज्र नहीं उठाया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज पक्षकारान् के हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, जिससे अपीलांट्स के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 03, 14 व 20 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सभी सहखातेदारों के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन के आदेश पारित न कर केवल वादी एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने वाले प्रतिवादीगण के विभाजन का आदेश पारित किया है। अतः रेस्पोडेंट्स का निवेदन स्वीकार फरमाया जावे एवं सभी सहखातेदारान् के हिस्से का विभाजन किये जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख ईएक्सपी-1 एवं ईएक्सपी-2 के मुताबिक वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक जमाबंदी संवतः 2075-2078 ग्राम रिंया तहसील पीपाड़ शहर के खाता संख्या 451 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 306 में दर्ज वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कांउटर क्लेम को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4, 10, 33, 35, 39, 11 ,42, 16, 25, 38, 44 व 32 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके पर कब्जे काश्त व हक-हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश दिये गये है।

अपीलांट्स का उज्र है कि वादग्रस्त आराजीयात का पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है, किंतु अपीलांट्स द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा न ही वर्तमान राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्सों में परिवर्तन का उज्र उठाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती हैं

जहां तक रेस्पोडेंट्स संख्या 03, 14 व 20 का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज सभी सहखातेदारान् के हिस्से का विभाजन किये जाने का आदेश नहीं दिया जाकर केवल वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4, 10, 33, 35, 39, 11, 42, 16, 25, 38, 44, 32 के हिस्से का ही विभाजन किये जाने का आदेश दिया गया है। इस संबंध मे न्याय हित में रेस्पो. का उज्र स्वीकार किया जाकरं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्तानुसार संशोधन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को सभी सहखातेदारान् के मध्य विभाजन किये जाने के निर्देश दिया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00163) अनवान मैसर्स गोकुल एसोसिएट बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 संशोधित किये जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को निर्देश दिये जाते है कि वह स्वयं मौके पर जाकर वादग्रस्त आराजीयात के सभी सहखातेदारान् के मध्य जमाबंदी में दर्ज हक-हिस्से अनुसार उभय पक्ष की उपस्थित माई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार दो माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-46RAAJodhpur2023-15RTA223 Puraram ors Vs Ms. Gokul Assosiat etc

अपीलाण्ट

1. पूराराम पुत्र मगाराम
2. बुधाराम पुत्र लालाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम
4. महेन्द्र पुत्र घनश्याम
5. गणपत सिंह पुत्र दलपत सिंह
6. अर्जुनराम पुत्र शिम्भूराम
7. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी घनश्याम
8. सुरेन्द्र पुत्र रामनिवास
9. मीरा पत्नी रामनिवास
10. खेमाराम पुत्र घनश्याम
11. नारायण पत्र लालाराम
12. भीकाराम पुत्र जसाराम फौत कायम मुकामः -
    - 12.1. गोकलराम पुत्र भीकाराम
    - 12.2. गोरधनराम पुत्र भीकाराम
    - 12.3. चंदूदेवी पुत्री भीकाराम
    - 12.4. शिवरी पुत्री भीकाराम
    - 12.5. सुगना पुत्री भीकाराम

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. मैसर्स गोकुल एसोसिएट, न्यू जाटाबास मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर जरिये प्रोपराईटर गोकुलराम चौधरी पुत्र रामूराम जाति जाट, निवासी- ग्राम रियां, हाल निवासी- जोधपुर(राज.)।

वादी...

2. उषादेवी पुत्री नाथुराम
3. ओमप्रकाश पुत्र खींवसिंह
4. कमला पुत्री दलपतसिंह
5. कमली पुत्री भबूतराम
6. गेन्दू पुत्री मोहनराम
7. चुतराराम पुत्र कालूराम
8. चैनाराम पुत्र दैराम
9. छोटी पुत्री रावतराम
10. तारा पुत्री दलपतसिंह
11. दिनेश पुत्र दैराम
12. थापू पुत्री रावतराम
13. प्रेम पुत्री दलपतसिंह के कायम मुकाम-
    - 13.1. मंगलाराम पुत्र मोतीराम निवासी- गांव सिराली, तहसील पीपाडड़ शहर, जिला जोधपुर।
    - 13.2. श्रीमती सरिता पत्नी दीपक गोदारा, निवासी- व्यास कॉलोनी, एयरफोर्स, रातानाडा, जोधपुर।
    - 13.3. श्रीमती संगीता पत्नी

राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर

13. श्रवणराम पुत्र शिम्भूराम
14. दिनेश पुत्र नाथुराम
15. मीरा पत्नी श्री नाथुराम
16. कर्माराम पुत्र मोहनराम
17. गैरी पत्नी श्री मोहनराम
18. मूलाराम पुत्र गोपाराम
19. सुगना पुत्री कल्याणमल
20. बलवीर पुत्र खीवसिंह
21. गैरी पत्नी खींवसिंह
22. शंकरसिंह पुत्र खीवसिंह
23. गैरी पत्नी गिरधारीराम
24. सुखाराम पुत्र भूराराम फौत के कायम मुकामः -
    24.1. पुकली पत्नी सुखाराम
    24.2. किशोर पुत्र सुखाराम
    24.3. उषा पुत्री सुखाराम
    24.4. निर्मला पुत्री सुखाराम
25. मांगीलाल पुत्र भुराराम
26. बिरमाराम पुत्र धन्नाराम
27. मंगलाराम पुत्र धन्नाराम
28. मालाराम पुत्र मगाराम
29. कर्माराम पुत्र

शुभम कुमार, निवासी- हाउस नंबर 3 बी, सकीकुमबारी, पंत विहार के पास, सत्संग भवन नुकड़ वाले बाबा के पास, सहारपुर, उत्तरप्रदेश।

13.4. ललीता पत्नी आसुराम सारण, निवासी- ग्राम खुण्डाला, तहसील खींवसर, जिला नागौर।

14. मंगलाराम पुत्र मगाराम के कायम मुकामः -
    14.1. श्रीमती सुआदेवी पत्नी मंगलाराम, निवासी- ग्राम रिया सेठों की, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
    14.2. रामदीन पुत्र मंगलाराम निवासी- ग्रा रिया सेठों की, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
    14.3. श्रीमती सरोज पत्नी राजेन्द्र जी पुत्री मंगलाराम, निवासी- गांव लवारी, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
    14.4. श्रीमती बसंती पत्नी कोजाराम जी पुत्री मंगलाराम, निवासी- गांव कापरड़ा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।
    14.5. श्रीमती गुडीया पत्नी पारस जी, पुत्री मंगलाराम निवासी-गांव बेनण, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
15. बाली पुत्री रावतराम
16. बाली पुत्री मगाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गोपाराम
30. खीयाराम पुत्र मगाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम. रियां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

17. भंवरलाल पुत्र मगाराम
18. मैना पुत्री दैराम
19. मयाराम पुत्र गिरधारीराम
20. रामदीन पुत्र गिरधारीराम
21. लीला पुत्री दैराम
22. संतोष पुत्री दलपतसिंह
23. सुनिल पुत्र नाथूराम
24. सरिता पुत्री गिरधारीराम
25. सीता पुत्री गिरधारीराम
26. सोहनीदेवी पत्नी दैराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम रियां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
27. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00163) मैसर्स गोकूल एसोसिएट बनाम अर्जुनराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 28 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पंकज जोशी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री रोशनलाल, श्री शैतानसिंह अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00163) अनवान मैसर्स गोकुल एसोसिएट बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 दिसंबर 2022 संशोधित किये जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को निर्देश दिये जाते है कि वह स्वयं मौके पर जाकर वादग्रस्त आराजीयात के सभी सहखातेदारान् के मध्य जमाबंदी में दर्ज हक-हिस्से अनुसार उभय पक्ष की उपस्थित माई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार दो माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर